



कार्यालय-निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 2316 /12-1 देहरादून,

दिनांक 11-11, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई-15.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 11.115है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0, मोरी (उत्तरकाशी) को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला का पत्रांक- 236/12-1, दिनांक 01-09-2020 एवं पत्रांक- 547/12-1, दिनांक 07-11-2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई-15.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 11.115है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0, मोरी (उत्तरकाशी) को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जिसका उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29-08-2020 को किया गया है। प्रस्ताव का विधिवत् परीक्षण उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की (01) एक हार्ड प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सुपिन रेंज, नैटवाड़ अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि-2.565है0 एवं सिविल सोयम भूमि-8.550है0(0.360 है0 भूमि मक डिस्पोजल हेतु सम्मिलित) कुल 11.115है0 वन भूमि प्रभावित होनी निहित है। प्रस्तावित मार्ग निर्माण में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के कुल 378 (आरक्षित वन भूमि) वृक्ष प्रभावित /वाधित होने सूचित हैं। उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की (01) एक स्कैन हार्ड प्रति संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (01) प्रति)।

भवदीय

(डी0के0सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2316 /दिनांकित।

प्रतिलिपि - उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला को उनके सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0के0सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रपत्र-4
भाग-III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

Proposal NO.- FP/UK/ROAD/47302/2020

- 1- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 2- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप निदेशक/ उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 3- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

नहीं।

सहमत

जनहित में उचित / उप निदेशक की
आख्या के आधार पर संस्तुति की
जाती है।

तिथि- 11-11-2020

स्थान-देहरादून।

हस्ताक्षर

(डी०के०सिंह)

और पदनाम

सरकारी मोहर

राजाजी टाइगर रिजर्व
देहरादून, उत्तराखण्ड